**लोक उपक्रम समिति**

**कार्य**

अनुसूची IV में निर्दिष्ट लोक उपक्रमों के कामकाज की जांच के लिए एक लोक उपक्रम समिति होगी। समिति के कार्य होंगे:-

(क) अनुसूची IV में निर्दिष्ट लोक उपक्रमों और ऐसे किन्‍हीं अन्य लोक उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखाओं, जिन्हें जांच हेतु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के पास भेजा जा सकता है, की जांच करना;

(ख) लोक उपक्रमों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों, यदि कोई हो, की जांच करना;

(ग) लोक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में जाँच करने के लिए कि क्या लोक उपक्रमों के मामलों को सही व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार प्रबंधित किया जा रहा है; तथा

(घ) लोक उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति और अनुमान समिति में निहित ऐसे अन्य कार्य करना, जिन्‍हें ऊपर वर्णित खंड (क), (ख) और (ग) द्वारा कवर नहीं किया गया है और समय-समय पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को आवंटित किया जा सकता है:

बशर्ते कि समिति निम्नलिखित में से किसी की जांच और छान-बीन नहीं करेगी, अर्थात्:-

(i) लोक उपक्रमों के व्यवसाय या वाणिज्यिक कार्यों से अलग प्रमुख सरकारी नीति के मामले;

(ii) दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित मामले; तथा

(iii) यह विचार करने के लिए कि कौन सी मशीनरी किसी विशेष क़ानून द्वारा स्थापित की जाती है जिसके अंतर्गत एक विशेष सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किया जाता है।

**समिति का गठन**

समिति में नौ सदस्य शामिल होंगे जो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सदन द्वारा प्रत्‍येक वर्ष अपने सदस्यों में से चुने जाएंगे।

**समिति का कार्यकाल**

समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

**समिति का कोरम**

समिति की एक बैठक के कोरम में तीन सदस्‍य होंगे।